कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1190 /12–1 देहरादूनः दिनांकः 10 अक्टूबर, 2024

सेवा में,

उप महा निदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– **जनपद–बागेश्वर में कारगिल सहीद स्वः श्री रमेश परिहार के गांव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.991 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।** (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/24737/2017)

सन्दर्भ :– भारत सरकार की पत्र सं0 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 97 / 2017 / एफ0सी0 / 287 दिनांक 11–05–2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में आपके द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, अलमोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 758 / 12–1(2) दिनांक 20–09–2024 से प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 695 / 12–1–2 दिनांक 13–08–2024 एवं पत्रांक 419 / 12–1–2 दिनांक 10–08–2020 से सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन ऑख्या इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गई है–

क्र0सं0	सैद्धान्तिक सवीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.982 है0 ग्राम गांसी (कपकोट) सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हसतान्तरण एवं नामान्तरण किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त आपत्ति के क्रम में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 3.982 है0 ग्राम गॉसी (कपकोट) सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू0 11,09,644.00 (ग्यारह लाख नौ हजार छः सौ चवालीस) मात्र की धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. U000000522974764 Dtd. 17.10.2018 द्वारा जमा की जा चुकी है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 3.982 है0 ग्राम दुलभ का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 194 / छब्बीस–22वन / 2017–18 दिनांक 20–07–2018 द्वारा तहसीलदार कपकोट के पत्रांक 474 / र0का0 / व0भू0ह0 / 2018 दिनांक 09–08–2018 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण कर दिया गया है। संदर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**

2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरे दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के तदर्थ निकास खाते में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान जनरेट होता है उसी के माध्यम से जमा कर दिया गया है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सक्षम स्तर से एन.पी.वी. की दरो में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने सम्बन्धित वचनबद्धता पहले ही प्रस्ताव में संलग्न है। प्रमाण पत्र पुनः संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति वर्ष 2018 में प्राप्त हुई है तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति की ऑख्या प्रेषित करने में 5 वर्ष से अधिक समय लगने के कारण कार्यदायी संस्था द्वारा पुनरीक्षित एन.पी0वी0 की धनराशि UTR No. SBIN423270690924 दिनांक 27–09–2023 से रु0 6,93,286.00 (छः लाख तिरानवे हजार दो सौ छियासी) जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–2)**
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियां (CA Cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन जमा किये जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रुप में मान्य नहीं होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य रु0 13,08,087.00 (तेरह लाख आठ हजार सत्तासी) मात्र एवं सभी दूसरी निधियां UTR No. U000000522974764 Dtd. 17. 10.2018 द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से जमा करी दी गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
5.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण

	में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
6.	State govt. will submit original hard copy of Part IV & V.	Part-IV की मूल प्रति संलग्न है एवं Part-V की छायाप्रति संलग्न है मूल प्रति राज्य सरकार द्वारा पूर्व में प्रेषित की गई है। । **(संलग्नक–4)**

अतः उपरोक्त प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा प्रेषित उत्तरालेख की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करना चाहें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1190 /12–1 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊं वृत्त, अल्मोड़ा।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं0:– **05963-220249** फैक्स नं0:– **05963-220209**

पत्रांक 695 / 12-1-2 **बागेश्वर** **दिनांक :** 13 / 08 / **2024**

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गॉव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.991 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/24737/2017)**

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी / यू0सी0पी0/06/97/2017/ एफ0सी0 / 287 दिनांक 11.05.2018।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा **जनपद बागेश्वर में स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गॉव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.991 है0 वन भूमि** को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक सं0 419 / 12–1–2 दिनांक 10.08.2020 द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित की गयी थी। **(छायाप्रति संलग्न)**–1

सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5–3 / 2011–FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होन के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है।

भारत सराकर द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावक विभाग द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी की बढ़ोत्तरी धनराशि UTR No.SBIN 423270690924 Dtd 27.09.2023 से जमा करवाली गयी हैं (चालान की प्रति संलग्न)–2

अतः प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचना चार प्रतियों में संलग्न कर सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नः– चार प्रतियो।

भवदीय,

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

पत्रांक / **दिनांकित** ।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Nodal adikari

सामान्य
02/8/2024

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 2074/ 26.व.भू

दिनांक 31/07/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर में स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गॉव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.991 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 5287/12–1–2 बागेश्वर दिनांक 28.06.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके कार्यालय पत्र सं0 19/12–1–2 दिनांक 10.08.2020 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है। पॉच वर्ष से अधिक समय से विधिवत स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में एन0पी0वी0 की अतिरिक्त देय धनराशि रू0 06,93,286.00 की मॉग की गई थी, जिसे (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No-SBIN423270690924 dtd 27.09.2023 द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी0 की देय धनराशि जमा की जा चुकी है तथा (चालान की प्रति संलग्न)

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न– सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित।

रजिस्टर संख्या 535
दिनांक 02/8/2024
12-1-2

भवदीय,
31/07/24
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन
मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/97/2017/एफ0सी0/264

दिनांकः 11 /05/2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद – बागेश्वर में स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गाँव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा मोटर मार्ग के निर्माण **हेतु 1.991 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड** लोक निर्माण विभाग को **प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 801/X-4-17/1(109)/2017 दिनांक 22.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/24737/2017 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद– **बागेश्वर में स्व0 कारगिल शहीद** श्री रमेश परिहार के गाँव डुंगरपुर हेतु **अमतौड़ा मोटर मार्ग के निर्माण** हेतु **1.991 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक** निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.982 है0 ग्राम– गांसी (कपकोट) सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर हैं अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करे कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate किए गए** चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों **से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक** स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will submit original hard copy of Part IV & V.

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के** साथ प्रदान की जायेगी:--

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 3.982 है0 ग्राम-- गांसी (कपकोट) सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस--पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरां एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख--रखाव के दौरान आस--पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव--जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 80 से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां--जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख--रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख--रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

11/05/16

(कमल प्रीत)
वन सरंक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रीत)
वन सरंक्षक

संलग्न-1

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:- 05963-220249 फैक्स नं0:- 05963-220209

पत्रांक 419 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 10/08 /2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- **जनपद बागेश्वर में स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गॉव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.991 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ:- **भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी / यू0सी0पी0/06/97/2017/ एफ0सी0 / 267 दिनांक 11.05. 2018।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति पर अधिकरोपित शर्तो का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को चार प्रति में प्रेषित की गयी है उक्त प्रस्ताव की तीन प्रतियॉ विधिवत स्वीकृति की संस्तुति हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न– आख्या 3 प्रति में

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

पत्रांक 419 / दिनांकित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्यां को विशेष पत्र वाहक के माध्यम से नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

O/C

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

Nodal adikari

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 687 / 25 प.प्र.   दिनांक 28.02.2020

सेवा मे,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर।

विषय:– जनपद बागेश्वर मे स्व0 कारगिल शहीद श्री [illegible] परिवार के ग्राम [illegible] हेतु [illegible] मोटर मार्ग निर्माण मे प्रभावित होने वाली 1.991 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:– 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 97 / 2017 / एफ0सी0 / 287 दिनांक 11.05.2018

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। जिसमे भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति मे अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति मे भेजने के निर्देश दिये गये है। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियो मे संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नको सहित सूचना तीन प्रति मे अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करे।

सलग्न– सूचना 4 प्रतियों मे संलग्नको सहित

भवदीय,

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर।

पत्रांक / तददिनाक

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी देहरादून को सन्दर्भित पत्रों मे दिये गये निर्देशो के क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी बागेश्वर को सन्दर्भित पत्र के क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर।

(141)

जनपद बागेश्वर में स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गाँव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा मोटर निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.991 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर भारत रकार के पत्रॉक 8बी/यू0सी0पी0/06/97/2017/एफ0सी0/267 दिनांक 11.05.2018 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या।

अनुपालन आख्या

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में वनभूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पर अधिरोपित शर्ते बिन्दुवार पूर्ण अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है।

1– शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 3.982 है0 ग्राम गॉसी (कपकोट) सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 11,09,644.00 मात्र (रू0 ग्यारह लाख नौ हजार छः सौ चवालीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR नं0 U000000522974764 दिनांक 17.10.2018 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 3.982 है0 ग्राम गॉसी का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 194/छब्बीस–22वन/2017–18 दिनांक 20.07.2018 द्वारा, तहसीलदार कपकोट के पत्रॉक–474/र0का0/व0भू0ह0/2018 दिनांक 09.08.2018 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है।(सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)

2– शर्त सं0 2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरे सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण (कैम्पा) के तदर्थ निकाय खाते में ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान जनरेट होता है उसी के माध्यम से जमा कर दिया गया है (प्रति संलग्न)।

3– शर्त सं0 3 के अनुपालन में सक्षम अधिकारी स्तर से एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोतरी होने पर बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने सम्बन्धित वचतबद्वता पहले की प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। प्रमाण पत्र पुनः सलग्न है।

4– शर्त सं0 4 के अनुपालन में रू0 13,08,087.00 (रू0 तेरह लाख आठ हजार सतासी मात्र) एन0पी0वी0 की धनराशि भुगतान UTR नं0 U000000522974764 दिनांक 17.10.2018 द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से कर दिया गया है।

5– शर्त सं0 5 के अनुपालन में सड़क के निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जायेगी, जिसकी बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न–
(1) जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 20.07.2018 प्रमाणित पत्र की प्रति।
(2) तहसीलदार कपकोट के पत्र दिनांक 09.08.2018 खतोनी की प्रति सहित।
(3) RTGS/NEFT फार्म की प्रति।
(4) शासनादेश की प्रति संलग्न है।
(5) दो प्रमाण पत्र।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

1-E(111)

ालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष/फैक्स नं0 : 05963-220249 फैक्स नं0 05963-220209

पत्रांक 3003/12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 20/06/2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0 नि0 विभाग
बागेश्वर

विषय – **जनपद बागेश्वर में स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गॉव डुगरपुर हेतु अमतौड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.991 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 विभाग को प्रत्यावर्तन** (24737/2017)

सन्दर्भः– **आपका पत्रांक 1196/2ई0व0भू0 दिनांक 14.05.2018।**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित जा रही है।

1. भारत सरकार का पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0 /06 /97 /2017 / एफ0सी0/267 दिनांक 11.05.2018।

2. उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑकलन प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक क–972/3–5–2 दिनॉक 21.11.2017 के द्वारा निंधारित दरो के कम में वर्ष 2018–19 के वसूली वर्ष हेतु किया गया है । अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	धनत्व	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	1.991है0	5	0.2	6,57,000.00	13,08,087.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	3.982है0	"–"	"–"	2,78,665.00	11,09,644.00

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

वन भूमि (हस्तान्तरण)

21/6

demand

Core Treasury System (CTS UK)

E-Cheque Advise

Government Of Uttarakhand

1808-CCL/PWD 140

e ChequeID :CC8900180811180007 Date :02-NOV-18

de	:	1808	Division Name	:	Provincial Division P.W.D.
t No.	:	PAC	Scheme	:	5054043370304 NV
de	:	XXXXX1234C	Name	:	Uttaranchal campa
Payment Type	:	Final Bill	Project Name	:	N.P.B PROJECTS PAYMENTS (PV)(5054048000307)

ALLOTED AMT : 141321305 EXPENDITURE AMT : 107068546 REMAINING AMT : 34252759

CTO/Sr.TO/TO/STO

Bageshwar

Please pay to Uttaranchal campa

Corporation Bank IFSC Code CORP0000371 Account No.150896124737631 as per detail below.

1.	In Contractor Bank A/C	2417731
	GST TDS (CPIN :)	0
	Total Payment	2417731

Amount in words : (Rs. Twenty-Four Lac Seventeen Thousand Seven Hundred Thirty-One Only.)

Detail given above is checked by me personally and is correct.

लेखाधिकारी
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

Signature with Seal

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

DAO/Sr.DAO Provincial Division P.W.D. Bageshwar

Executive Engineer PD PWDBageswar

For Treasury Use

Voucher No.

Voucher Date. / /

ID :CC8900180811180007 Date 02-NOV

Passed Amount Rs. : 2417731.00

Payment Id

Amount in words : (Rs. Twenty-Four Lac Seventeen Thousand Seven Hundred Thirty-One Only.)

Bank Amount Rs. : 2417731.00 Amount By TC Rs. : 0.00

Accountant Signature

ATO Signature

CTO/Sr.TO/TO/STO Signature

(15)

...खर के अन्तर्गत ...... शहीद श्री ...... परिहार के ...रपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

Form No. 28-HAND RECEIPT Passed for Rs 2417731/-

(See Chap.XIP, Para 440, 446 and 460)

...cher No. 6 Date 5.11.2018......20

...Cheque/Cash/Rupees (2417731/-) to Sri UTTRANCHAL CAMPA

...Me...

...ED for the E.E. P.D. P.W.D. in charge of Bageshwar

...vison.....AE... IV.....Division the sum. of

24,17,731/-......Name of work * or purpose of

...ch payment is made पत्रांक 564/22 ...... /2018-19 दि० 18-09-2018.

CANCEL

(Amount in Vernaculer)

C/S Checked for Rs 2417731=00

Signature of Payees

...te 30-10-......2018

...thses

U.T.R. No - U00000522974766

Dtd. 05.11.2018.

1-(VI)

11-24
10/8/2018

कार्यालय तहसीलदार कपकोट।

संख्या–474/र०का०/वन भू०ह०/2018 दिनांक 09 अगस्त, 2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर।

विषय-- **जनपद बागेश्वर में स्व० कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गॉव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त 1.991 है० की दुगुनी अवनत भूमि 3.982 है० का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के कार्यालय के आदेश संख्या-- 194/छब्बीस-- 07 वन/2017--18 दिनांक 20/7/18 के अनुपालन में ग्राम गॉसी राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र लोहारखेत तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 112 के पैमायशी खेत नं० 3336 रकवा 19.120 है० मध्ये 3.982 है० श्रेणी 9(3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण दर्ज कर खतौनी उद्धरण मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :--
(1) जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण के अवलोकनार्थ प्रेषित।
(2) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण प्रेषित।

825
12-1-2
10/8/2018

तहसीलदार
कपकोट।

उद्धरण नं० फ० खतौनी (२५॥)

ग्राम गौंटी राठ० नि० फॉल० लोहारखेत तह० कपकोट जनपद बागेश्वर

9(3) ख जंगल

[illegible]	नाम खातेदार/पिता/पति का नाम		खेत नम्बर	रकबा (हे० में)		अन्य विवरण
12	जंगल		2631	0.390		श्रीमान जिलाधिकारी महोदय [illegible] वैकल्पिक सं० 194/ [illegible] 2017-18 दिनांक 20.11.18 के आदेश [illegible] सं० 2142/XVIII(II)/2012 [illegible] दिनांक 13 दिसम्बर 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन के पत्र [illegible] एफ०सी०पी० 08/9/2017/ [illegible] 126 दिनांक 11.5.2010 की शर्तों के अधीन जनपद [illegible] मे एक कारगिल शहीद [illegible] परिवार के गांव डुंगरपुर [illegible] अल्मोड़ा: [illegible] उपयुक्त वन भूमि 1.991 है० [illegible] उपलब्ध भूमि 3.902 हे० जो [illegible] गौंटी के एकट ब्लॉक के [illegible] खेत नम्बर 3336 [illegible] भूमि [illegible] वन विभाग के पक्ष [illegible] हस्तान्तरण की।
			2640	1.960		
			2642	5.000		
			2773	0.076		
			क्रमशः			
			3334	11.400		
			3335	2.380		
			3336	19.120		
			3357	2.000		
			3358	1.450		
			क्रमशः			
			10101	5.625		
			10102	0.930		
	योग		(61)	255.694		

महोदय,

प्रतिहस्ताक्षरित

तैयार किया

ह० तहसीलदार तहसील कपकोट 09.08.2018

ह० R.S. [illegible] 9/8/18 लोहारखेत

1 xviii

आदेश

2018 उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद बागेश्वर में स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गॉव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त वन भूमि 1.991 है0 की दुगुनी अवनत भूमि 3.982 है0 जो ग्राम गॉसी राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र, लोहारखेत तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या –112 के पैमाईशी खेत नम्बर 3336 रकवा 19.120 है0 मध्ये रकवा 3.982 है0 भूमि जो श्रेणी 9(3)ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)2012–18 (120)/2012 दिनांक 17दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/97/2017/एफ0सी0/267 दिनांक 11.05.2018 में दी गयी शर्तो के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर ।

संख्या – 194 / छब्बीस –22 वन /2017–18 दिनांक 20/7/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर।
2– उपजिलाधिकारी,कपकोट ।
3– अधिशासी अभियंता,प्रान्तीय खण्ड ,लोक निर्माण विभाग,बागेश्वर।
4– तहसीलदार,कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/ नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक –एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

19/07/18

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

426
12-1-2
23/7/2018

(1-VIII)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/24737/2017** योजना **जनपद बागेश्वर में स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गॉव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.991 है0** वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के लिये वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त ग्राम गॉसी में **3.982 है0** सिविल भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन/अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक संख्या 194/छब्बीस –22 वन /2017–18 दिनांक 20.07. 2018 से हस्तान्तरित/आवन्टित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वाामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। उक्त भूमि श्रेणी 9 (खाते से बाहर की भूमि) (un measured Land) के अन्तर्गत 9(3)ख(2) के रूप में दर्ज हैं। जो कि अधिसूचना संख्याः 869–एफ/638 दिनांक 17.10.1893 के तहत संरक्षित वन घोषित है। (अधिसूचना संलग्न)

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

कार्यालय वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा
पत्रांक / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25, सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी बागेश्वर।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare/other.JEO .docx"

संलग्नक-2

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com

दूरभाष / फैक्स नं0 : 05963-220249 फैक्स नं0 05963-220209

पत्रांक 5287 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 28 / 06 / 2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0विभाग,
बागेश्वर।

विषय – जनपद बागेश्वर में स्व0कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गाँव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.991 है0 वन भूमि में अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : – सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र कम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन0पी0वी0 की देय धनराशि के सम्बन्ध मे दिशा-निर्देश जारी किये गये है। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नही की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के कम में उक्त प्रस्ताव मे उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 11 मई 2018 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पाँच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0 सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	धनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख मे)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	एन0पी0वी0	1.991 है0	5	0.2	1005210.00	20,01,373.00	13,08,087.00	06,93,286.00
	कुल योग					20,01,373.00	13,08,087.00	06,93,286.00

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

(उमेश चन्द्र तिवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\chhapan/ P.M.G.S.Y BGR 221018docx"

2(11)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बागेश्वर।

उत्तराखण्ड शासन

फोन/फैक्स नं0–05963–220006

PWD Uttarakhand

E-mail id- pdpwdbgr@gmail.in

पत्रांक 3835/कैश

दिनांक 27/09/2023

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक
बागेश्वर।

विषय :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम आहरित धनराशि का उत्तरांचल कैम्पा में NEFT/RTGS करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद बागेश्वर में स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गॉव डुगॅगरगॉव हेतु अमतौड़ा मोटर मार्ग का निर्माण (4 किमी0) होते हेतु अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा करने हेतु कोषागार बागेश्वर से प्राप्त अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम बैंकर्स चैक सं0– 639449 दिनांक 18.09.2023 ₹ 693286.00 मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं0– 150896124737913 IFSC Code- UBIN0996335 में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें।

संलग्न :– बैंकर्स चैक सं0–639449 दिनांक 18.09.2023 ₹ 693286.00 मात्र मात्र मूल में।

SBIN423270690924

26/09/23

(इं0 धन सिंह बुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

पत्रांक :– /कैश, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि, सहायक अभियन्ता प्रभारी, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि, वनभूमि सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

Q-157
Q Voucher
(BGL)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

भारतीय स्टेट बैंक, बागेश्वर शाखा-(01693)
PF ID: 1002482
Posted By 27 SEP 2023 Chked By
Name: MANISHA TIWARI
Signature

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY	BANK COPY

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-09-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6124737913
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/97/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	693286/-

Amount in Words :Six Lakh Ninety-Three Thousand Two Hundred and Eighty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896124737913 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-09-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6124737913
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/97/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	693286/-

Amount in Words :Six Lakh Ninety-Three Thousand Two Hundred and Eighty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896124737913 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:**After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank**

SBIN 423270690924
Dt 27.9.2023

Attested

26/09/23
Executive Engineer
Provl. Division P.W.D
Bageshwar

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः – **जनपद बागेश्वर में स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गॉव डुंगरपुर हेतु अमतौर मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.991 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**
(Online Proposal no- FP/UK/ROAD/24737/2017)

1. **टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):**

उपरोक्त योजना हेतु बागेश्वर में 1.991 है0 राजस्व वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः – **जनपद बागेश्वर में स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गॉव डुंगरपुर हेतु अमतौर मोटर मार्ग निर्माण के** प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः
नाम व पदनामः (विनोद कुमार भा.व.से.)
अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड
Addl. P.C.C.F. NO
Land Survey Directorate
Dehradun

सरकारी मोहरः
तिथि : 08 / 11 / 2017
स्थान : देहरादून